

न्यायालय जिला कलेक्टर, टोंक  
(गौरव अग्रवाल, आई०ए०एस०द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या  
प्रविष्टि दिनांक

50 / 2018  
27-6-2018

बद्री पुत्र श्री बजरंगा जाति जाट निवासी ग्राम चोरु तह० उनियारा जिला-टोंक  
बनाम

-अपीलान्ट

नायब तहसीलदार उनियारा जिला-टोंक राजस्थान

-रेस्पोंडेंट



अपील विरुद्ध निर्णय, तहसीलदार उनियारा दिनांक 19-8-2011

- (1) श्री देवीप्रकाश तिवाड़ी अभिभाषक अपीलान्ट
- (2) श्री जुगनू शर्मा राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक 21-12-2020

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार उनियारा ने अपने आदेश दिनांक 19-8-2011 के द्वारा अपीलान्ट को सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 500 रकबा 0.06 है० वाके ग्राम चोरु पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानकर भूमि से बेदखल करने पेनल्टी कायम कर तीन माह के सिविल कारावास से दण्डित करने का आदेश दिया गया था। अपीलान्ट द्वारा नायब तहसीलदार उनियारा के उक्त आदेश से अप्रसन्न होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने हेतु न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत की गई थी। अपीलान्ट की उक्त अपील संख्या 153/2011 को न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 5-10-2011 से निरस्त की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखा गया।

अपीलान्ट द्वारा न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 5-10-2011 की अपील न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी टोंक के यहाँ प्रस्तुत की गई। न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी टोंक द्वारा भी अपील सं० 62/2011 को दिनांक 31-1-2013 को निरस्त कर दिया गया। अपीलान्ट ने न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी टोंक के आदेश की निगरानी माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के यहाँ प्रस्तुत की गई। राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा निगरानी/एलआर/5123/2013/टोंक आदेश दिनांक 13-12-2017 से निगरानी आंशिक स्वीकार कर निर्देश दिये गये कि " प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रकरण जिला कलेक्टर टोंक को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र दिनांक 14-9-2011 में उल्लेखित शपथ कथनों की जाँच उपखण्ड स्तर के अधिकारी से करवा कर एक माह में रिपोर्ट प्राप्त कर विवादित आराजी से प्रार्थी का कब्जा छोड़ने बाबत विधिसम्मत आदेश पारित करें, तब तक प्रार्थी को दी गई सिविल कारावास की सजा स्थगित रहेगी। जाँच



जिला कलेक्टर  
टोंक

रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त जिला कलेक्टर यदि मौके पर कब्जा छोड़ना नहीं पाते हैं तो अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निगरानी निर्णय यथावत रहेंगे। ”

प्रकरण माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर से रिमाण्ड से प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी रेसपोडेण्ट जरिए नोटिस की जाकर गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्त एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलान्त ने अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलान्त ने विवादित भूमि खसरा नम्बर 500 रकबा 0.06 है0 वाके ग्राम चोरु पर से अपना कब्जा हटा लिया है। इस बाबत न्यायालय हाजा में दिनांक 10-9-2020 को शपथ-पत्र भी प्रस्तुत कर दिया है। आप मौके की पुनः जाँच करवा सकते हैं हमारा मौके पर कब्जा नहीं है। अतः सिविल कारावास माफ किया जावे अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जावे।

अपीलान्त के अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने अपने कथन में अभिभाषक अपीलान्त के कथनों का समर्थन किया और तर्क दिया कि उपखण्ड अधिकारी उनियारा की मौका रिपोर्ट क्रमांक 4605 दिनांक 2-9-2020 अनुसार अपीलान्त ने मौके से अपना कब्जा हटा लिया है।

अभिभाषक अपीलान्त एवं राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्त द्वारा ग्राम चोरु की सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 500 रकबा 0.06 है0 भूमि पर अतिक्रमण किया था अपीलान्त ने न्यायालय में विवादित भूमि से अपना कब्जा छोड़ देने व कब्जा नहीं करने बाबत शपथ पत्र पेश किया है तथा उपखण्ड अधिकारी उनियारा ने पत्र क्रमांक 4953 दिनांक 19-10-2020 रिपोर्ट प्रेषित की जिसमें अंकित किया है, कि पटवारी हल्का चोरु के साथ जाकर मौका देखा गया मौके पर आराजी खसरा नम्बर 2594/500 वाके चोरु मुताबिक जमाबन्दी जो सिवायचक दर्ज है। पूर्व में उक्त भूमि पर तारबन्दी कर चारों ओर लोहे की जाली लगाई हुई थी तथा अन्दर जानवरों के बाँधने के लिए टीनशेट लगा रखे थे, जिनको हटा लिया गया है। मौके से कब्जा हटाया गया है। ऐसी स्थिति में न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त को दी गई सिविल कारावास की सजा को अपास्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

फलतः अपील अपीलान्त आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त को दी गई सिविल कारावास की सजा को अपास्त किया जाता है शेष निर्णय नायब तहसीलदार उनियारा दिनांक 19-8-2011 यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 21-12-2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(गौरव अग्रवाल)  
जिला कलेक्टर  
टोक